<u>कार्यालय कलेक्टर, जिला–महासमुंद (छत्तीसगढ़.)</u>

/ /विज्ञापन/ /

क्रमांक 1382/क/वित्त–स्था./ 2012, महासमुंद, दिनांक 06 सितम्बर, 2012

छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ–2–224/सात–2/2008, दिनांक 8 मार्च, 2010 के द्वारा दी गयी स्वीकृति एवं छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1734/वित्त/ब–4/चार, दिनांक 24 नवम्बर, 2011 के अनुसार राजस्व विभाग के अंतर्गत महासमुंद जिले के लिए जिला कार्यालय व अधीनस्थ तहसीलों, उप तहसीलों में चतुर्थ श्रेणी ''भृत्य/चौकीदार'' के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किए जाने छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी/मूल निवासी उम्मीदवारों से नीचे तालिका मे दर्शाए विवरण के अनुसार रिक्त पदो के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र दिनांक 29.09.2012 तक कार्यालयीन अवधि में आमंत्रित किए जाते हैं।

<u>चतुर्थ श्रेणी ''भृत्य/चौकीदार''</u> पुनरीक्षित वेतन बैंड 4750–7440+G.P.1300

क्र.	विवरण.	अ.जा.	अजजा.	अपिव.	अनारक्षित	योग.
1.	कुल संख्या.	06	06	02	15	29
2.	महिला.	02	02	01	04	09
3.	मुक्त.	02	02	01	07	12
4.	विकलांग.	01	01	–	01	03
5.	भूतपूर्व सैनिक	01	01	–	03	05

2/ साथ ही रोजगार कार्यालय, महासमुंद तथा भूतपूर्व सैनिकों हेतु जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, रायपुर की सूची के केवल ऐसे उम्मीदवार जो 22 अप्रेल, 2012 को भृत्य पद के चयन की प्रक्रिया में साक्षात्कार में सम्मिलित हुए थे, को भी अन्य के साथ चयन की प्रक्रिया मे शामिल किया जावेगा जिन्हें इस हेतु पृथक से कोई आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक नही होगा।

शैक्षणिक योग्यता :–

1–न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कक्षा 5 वीं उत्तीर्ण।

(3) निर्धारित आयु सीमाः– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2013 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत् निम्नानुसार छूट की पात्रता होगीः–

1— यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी.

2— ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

3— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी.

4— विधवा, परित्यकता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी.

5— परिवार कल्याण कार्यक्रम के अतर्गत अपने नाम पर ''ग्रीनकार्ड'' धारण करने वाले आवेदकों (छत्तीसगढ़ राज्य के आवेदकों) को उच्चतर आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी.

6— आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी—3/10/85/3/1, दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी.

7— राज्य (छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित ''शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं'' को सामान्य उच्च्तर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी.

8— विकलांग आवेदकों को उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी.

9— छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध मे उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी.

10— छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3—2/2002/1—3, दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासकीय सेवा में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी.

महत्वपूर्ण टीपः— (1) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ—3—2/2002/1/3, दिनांक 15.06.2010 के द्वारा जारी किए गए निर्देश के पैरा (3) के

अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी, परन्तु उक्त परिपत्र के पैरा (5) के अनुसार अन्य विशेष वर्ग जैसे–छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति,

अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत् लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर उममीदवारों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नही होगी. (2) आयु की गणना दिनांक 01.01.2013 के संदर्भ में की जाएगी।

(4) आवेदन पत्र भरने संबंधी शर्तें / निर्देशों / जानकारीः–

1– आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वास्तविक निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें.

2– आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न करें.

3– आयु सीमा मे छूट के संबंध में प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न होना आवश्यक है.

4– आवेदन पत्र में नियत स्थान पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हाल ही के पासपोर्ट साईज का फोटो अनिवार्य रूप से चिपकायें.

5– आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी अर्हता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास एवं जाति प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा.

6– आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र मे दिनांक 29.09.2012 तक ''कार्यालय कलेक्टर, जिला महासमुंद (छ.ग.) **Pin Code 495445**'' के पते पर केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट से भेजना अनिवार्य होगा हाथों–हाथ आवेदन पत्र स्वीकार नही किए जाएंगे। जो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रपत्र एवं शर्तों के अनुसार नही होंगे उस पर विचार नही किया जाएगा.

7– विज्ञप्ति जारी दिनांक के पूर्व तथा अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा.

8– उपरोक्त विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनशील होगी जिसमें कमी–वृद्धि की जा सकती है.

9— प्रत्येक पद हेतु आवेदन पृथक–पृथक प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम तथा आवेदक का नाम व पता अवश्य लिखें। साथ ही अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा

10/—रू. का डाक टिकिट लगा एक खाली लिफाफा 9'×4' के आकार का अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करना होगा.

11— आवेदक आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त भार्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी।

12— ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था मे सेवारत हैं उन्हें अपना आवेदन पत्र नियोक्ता/विभाग प्रमुख के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

13— किसी भी प्रवर्ग के महिला अभ्यर्थी न होने की दशा में उसी प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थी से पद की पूर्ति की जावेगी.

14— चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गयी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

15— अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नही दी जावेगी.

16— छ.ग.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा.

17— विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन (Interpretation) का अधिकार ''कलेक्टर, जिला महासमुंद'' का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नही किया जाएगा एवं कलेक्टर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा.

19— विज्ञप्ति से संबंधित जानकारी जिला कार्यालय की वेबसाईट "http://mahasamund.gov.in" में देखी जा सकती है.

(5) नियुक्ति के लिए अपात्रताः—

1— कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा.

2— कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा। परन्तु कोई भी उम्मीदवार, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, नियुक्ति के लिए निरर्हित नही होगा।

(6) चयन प्रक्रियाः—

चतुर्थ श्रेणी भृत्य/चौकीदार के पद के लिए उम्मीदवारों की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता ''पांचवी'' में प्राप्त अंक के मेरिट के आधार पर चयन किया जावेगा। सामान्य क्रमोन्नति/कक्षोन्नति द्वारा उत्तीर्ण उम्मीदवारों की अंकसूची में अंको के निर्धारण के संबंध में विभागीय चयन समिति द्वारा निर्णय लिया जावेगा। इस हेतु प्रथमतः निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर उस क्रम के अनुसार आवेदनों की शार्ट लिस्टिंग कर रिक्त पदों के 5 गुना उम्मीदवारों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जावेगा। इस संबंध में किये गये यात्रा हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा.

अतिशेष कर्मचारियों को शासन के निर्देशानुसार प्राथमिक्ता दी जावेगी।

कलेक्टर
महासमुंद.